न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीदासर चूरू

पीठासीन अधिकारी :– अमीलाल यादव (आर.ए.एस.)

नं. मु. :– 97 / 2024 निर्णय दिनांक :– 30-12-2024

1. मुकनाराम पुत्र तिलोकाराम उम्र 62 वर्ष जाति जाट निवासी कस्बा सुजानगढ़ हाल निवासी ग्राम परावा तहसील बीदासर जिला चूरू राजस्थान

– प्रार्थी

बनाम

1. गिरधारी पुत्र रामू जाति जाट निवासी कस्बा सुजानगढ़ हाल निवासी ग्राम परावा तहसील बीदासर जिला चूरू राजस्थान
2. नानूराम पुत्र पोकरराम जाति जाट निवासी कस्बा सुजानगढ़ हाल निवासी ग्राम परावा तहसील बीदासर जिला चूरू राजस्थान
3. रामनिवास पुत्र रतनो जाति जाट निवासी कस्बा सुजानगढ़ हाल निवासी ग्राम परावा तहसील बीदासर जिला चूरू राजस्थान
4. लिछू पुत्र तिलू जाति जाट निवासी कस्बा सुजानगढ़ हाल निवासी ग्राम परावा तहसील बीदासर जिला चूरू राजस्थान
5. सुरजा देवी पत्नी रतनो जाति जाट निवासीनी कस्बा सुजानगढ़ हाल निवासीनी ग्राम परावा तहसील बीदासर जिला चूरू राजस्थान
6. हड़मान पुत्र तिलू जाति जाट निवासी कस्बा सुजानगढ़ हाल निवासी ग्राम परावा तहसील बीदासर जिला चूरू राजस्थान
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय, बीदासर (चूरू)

– अप्रार्थीगण

"प्रार्थना पत्र वास्ते रिकॉर्ड दुरूस्ती

अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956"

निर्णय

उपस्थित :–

1. अरविन्द चौधरी एडवोकेट वास्ते प्रार्थी
2. पंकज कुमार गुंसाईवाल एडवोकेट अप्रार्थी संख्या 06
3. पैरोकार राज वास्ते अप्रार्थी संख्या 07

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीदासर जिला–चूरू सत्यमेव जयते

लगातार 2 पर

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी व अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 6 के संयुक्त खातेदारी का एक खेत खाता संख्या नया 284 व पुराना 271 तथा खेत खसरान नम्बर 136 तादादी 6.2979 हेक्टेयर, खेत खसरा नम्बर 21 तादादी 6.7532 हेक्टेयर, खेत खसरा नम्बर 23 तादादी 0.9106 हेक्टेयर व खेत खसरा संख्या 66 तादादी 4.5274 हेक्टेयर कुल 4 किता खेत खसरान कुल तादादी 18.4891 हेक्टेयर वाके रोही ग्राम परावा तहसील बीदासर जिला चूरू में स्थित है। जो प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के संयुक्त खातेदारी के खेत हैं जिनमें प्रार्थी का प्रत्येक खेत खसरान भूमि में 5/28 हिस्सा निहित है, जिसमें प्रार्थी के अलावा प्रार्थी के भाई व प्रार्थी के परिवारजन अप्रार्थी संख्या 1 ता 6 सह खातेदार हैं। उक्त खातेदारी रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम मकिया पुत्र तिलू अंकित है। जबकी प्रार्थी का सही व वास्तविक नाम मुकनाराम पुत्र तिलोकाराम है। प्रार्थी के नाम से आधार कार्ड, राशन कार्ड, पैन कार्ड, जन–आधार कार्ड, बैंक पास बुक बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा पारेवड़ा, नरेगा रोजगार कार्ड, विद्युत बिल में प्रार्थी का नाम मुकनाराम पुत्र तिलोकाराम अंकित है। राजस्व रेकार्ड में प्रार्थी का नाम मकिया पुत्र तिलू व अन्य समस्त दस्तावेजों में प्रार्थी का नाम मुकनाराम पुत्र तिलोकाराम होने के कारण राजकिय लाभांस व सरकारी अनुदान प्राप्त करने में परेशानी हो रही है। इसलिए प्रार्थी के लिए आवश्यक हो गया कि वोह न्यायालय के मार्फत राजस्व रेकार्ड में अपना नाम मकिया पुत्र तिलू की जगह अपना शुद्व एंव सही दस्तावेजी नाम मुकनाराम पुत्र तिलोकाराम का संशोधन करावे। राजस्व रेकार्ड में दुरूस्त किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। प्रार्थना पत्र राजस्व रेकार्ड में संशोधन का है तथा वादगत खेत रोही परावा तहसील बीदासर में स्थित है। इसलिए प्रार्थना पत्र की सुनवाई का श्रवणाधिकार एंव क्षेत्राधिकार श्रीमान्जी के न्यायालय को प्राप्त है आदि आदि अंकित कर प्रार्थना पत्र को स्वीकार करने का निवेदन किया।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 ता 5 की विधिवत रूप से तामिल होने के बावजुद उनकी ओर से कोई उपस्थित नहीं जिस कारण अप्रार्थी संख्या 1 ता 5 के विरूद्व प्रकरण में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गयी। अप्रार्थी संख्या 07 तहसीलदार बीदासर ने अपना जवाब पेश कर दिया है जिसमें प्रार्थी का नाम शुद्व किया जाना उचित बताया है तथा अप्रार्थी संख्या 06 जरिये अपने अधिवक्ता पेश होकर प्रार्थी के समर्थन में अपना जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया।

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)

लगातार 3 पर

हमनें पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया। वकील प्रार्थी व वकील अप्रार्थी की बहस सुनी गई। पत्रावली पर आये दस्तावेजों को बगौर से देखा। प्रकरण राजस्व रेकार्ड में नाम दुरूस्ती का है जिसमें अप्रार्थी तहसीलदार बीदासर ने अपने जवाब में प्रार्थी का नाम शुद्व किया जाना उचित बताया है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में आधार कार्ड, राशन कार्ड, पैन कार्ड, जन–आधार कार्ड, बैंक पास बुक बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा पारेवड़ा, नरेगा रोजगार कार्ड, विद्युत बिल आदि में प्रार्थी का नाम मुकनाराम पुत्र तिलोकाराम अंकित है जबकी राजस्व रेकार्ड में प्रार्थी का नाम मकिया पुत्र तिलू अंकित है जिसको प्रार्थी के अन्य दस्तावेजों के आधार पर शुद्व किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

–: आदेश :–

अतः उपरोक्त तथ्यों की विवेचना के आधार पर रोही ग्राम परावा के खाता संख्या 284 नया, 271 पुराना, खेत खसरान नम्बर 136 तादादी 6.2979 हेक्टेयर, खेत खसरा नम्बर 21 तादादी 6.7532 हेक्टेयर, खेत खसरा नम्बर 23 तादादी 0.9106 हेक्टेयर व खेत खसरा संख्या 66 तादादी 4.5274 हेक्टेयर कुल 4 किता खेत खसरान कुल तादादी 18.4891 हेक्टेयर में प्रार्थी का नाम मकिया पुत्र तिलू को संशोधित किया जाकर उसके स्थान पर प्रार्थी का दस्तावेजी एंव शुद्व नाम मुकनाराम पुत्र तिलोकाराम दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। पालनार्थ तहसीलदार बीदासर को लिखा जावे। निर्णय आज दिनांक 30/12/25 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर